उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 11558/18 दिनांक 06/12/18

समयबद्ध / अतिआवश्यक

सेवा में,

डीन / प्रधानाचार्य,
समस्त मेडिकल कालेज,
उत्तर प्रदेश।

विषय–अस्थायी पंजीकरण (प्रोविजनल) रजिस्ट्रेशन कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में समस्त मेडिकल कालेजों को निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल द्वारा अस्थायी पंजीकरण (प्रोविजनल) रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है।

अतः आपको अवगत कराना है कि आप अपने कालेज के समस्त छात्र / छात्राओं के अस्थायी पंजीकरण (प्रोविजनल) रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन ही करें। समस्त छात्र / छात्राओं के हस्ताक्षर, फोटो सत्यापन एवं पास आउट सर्टिफिकेट प्रधानाचार्य द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा ही कराकर अपलोड करें, ताकि आपके कालेज के समस्त छात्र / छात्राओं का अस्थायी पंजीकरण (प्रोविजनल) रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सके।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको यह भी अवगत कराना है कि किसी भी दशा में व्यक्तिगत / ऑफलाइन आवेदन फार्म स्वीकार नही किये जायेगें और न ही व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल।